

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 104/20
(जीसीएमएस संख्या 2020/00121)

निर्णय दिनांक:- 28-12-2023

1. किशोर कुमार (किशोर भाटी) पुत्र श्री सत्यनारायण जाति भाटी (माली)
निवासी पंचमुखा हनुमन मन्दिर के पास, बीकानेर।



-अपीलांट

-बनाम-

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

-रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 25-11-2005
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 25-11-2005 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर 20 प्रतिशत राशि व सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूत प्रस्तुत करते


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हुए प्रस्तुत करते हुए वादगत भूमि चक 11 डीजेएम के मुरब्बा नम्बर 146/47 के विशेष आवंटन हेतु इस्तदुआ की गई थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट को 20 प्रतिशत राशि व वांछित सबूत पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया परन्तु अपीलांट हाजिर नहीं आया। इसलिए आवंटन निरस्त किया जाता है।



इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट आज दिनांक को भी राशि जमा करवाने को तैयार है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25-11-2005 के विरुद्ध अपील दिनांक 28-10-20 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन किशतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।



राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 06-12-2000 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 25-02-2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवंटन किशतों के अभाव में बिना नोटिस अथवा सूचना दिये खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र 20 प्रतिशत राशि व वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खारिज किया गया है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि चक 11 डीजेएम के मुरब्बा नम्बर 146/47 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नोटिस क्रमांक 2332 दिनांक 11-07-2005, 3375 दिनांक 15-01-2005 व नोटिस क्रमांक 3708 दिनांक 08-11-2005 द्वारा आरक्षित मूल्य कुल 247710/- की 20 प्रतिशत राशि 49542/- व वांछित सबूत यथा गत् 20 वर्षों से अधिक अधिवास के प्रमाणीकरण हेतु वोटर लिस्ट, 1971, 1975, 1980, 1993 व 1998 की मूल प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र, सद्भाविक कृषक प्रमाण पत्र, भूमि अथवा भूमिहीन का प्रमाण पत्र, दो पासपोट साईज के फोटो पति या पिता का व्यवसाय संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया कि वे स्वयं सबूतों सहित उपस्थित आवे। उक्त नोटिस की सम्यक् तामीली की सुनिश्चतता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई है, का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। जोकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश परिलक्षित होता है।


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आवंटन नियम 13 ए (5) (4) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:-

Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be allotted alternative un allotted land out of those lands which were previously notified and applications were invite for allotment of those lands, if there are no pending applications from other applicants for allotment such un allotted land.



उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपयुक्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में आरआरटी 2016 पार्टी पेज 1339 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है जोकि प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होता है।

7. अतः उक्त नियम व नजीर के प्रकाश में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 25-11-2005 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की आज दिनांक की पात्रता की जाँच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अपीलांट के आवेदन पत्र पर विशेष आवंटन नियम 13ए में उल्लेखित पात्रता की शर्तों की जाँच करते हुए नये सिरे से नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 28/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर